राजु खां / शैरू खां

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तहसीलदार सोजत द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये। विभाजन प्रस्ताव अपने पत्रांक/राजस्व/2021/ 4667 दिनांक 15.12.2021 के जरिये प्रस्तुत किया है, सा0मि0 हो। अधिवक्ता वादी तथा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। तथा माफिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षित विवरण इस प्रकार है कि अधिवक्ता मय वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा पटवार मण्डल भैसाणा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 286 खसरा नम्बर 775 रकबा 4.0700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की संयुक्त खातेदारी की आयी हुई स्थित है। उपरोक्त वादस्थ भूमि में वादी का 1/2 तथा शेष 1/2 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का निहित है जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में इनके पिता भंवरू खा के नाम से इन्द्राज सुदा है। वादी द्वारा अपने 1/2 हिस्से में सें 4/15 अर्थात सम्पूर्ण में से 4/30 रकबा 0.5466 हैक्टर भूमि का जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 18.12.2020 को कर दिया गया है। वादस्थ भूमि में वादी का 1.4884 हैक्टर हिस्सा शेष रहा है तथा तदोनुसार मौके पर मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हे। किन्तु विधिक बंटवाडा नही होने से सह खातेदार के मध्य मनमुटाव एवं सीमाओं एवं काश्त को लेकर विवाद होने की संभावना रहती है। वादी द्वारा माफिक कब्जा अनुसार बंटवाडा हेतु कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा साफ इंकार कर दिया जिससे वादी वादस्थ भूमि में अपने हक हिस्से को बंटवाडा करवा कर राजस्व रेकर्ड में पृथक से खाता कायम करवाना चाहता है। दिनांक 15.01.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 से सम्पर्क कर आपसी सहमति से तहसील सोजत चलकर विधिक बंटवाडा करने से साफ इनकार हो जाने से वाद कारण बमुकाम ग्राम सिसरवादा उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार वाद प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि में अपने हिस्से का कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से विधिक बंटवाडा करवाने की ईश्तदुआ की है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 की और से श्री देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 बावजूद सूचना /तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 07 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन करने पर बाद विवेचन / विश्लेषण दिनांक 13.12.2021 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की जाकर सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा के खसरा नम्बर 775 रकबा 4.0700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर पृथक पृथक खाता व लगान कायम कर विभाज प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित

किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 07 सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व प्रतिवादीसंख्या 07 ने संयुक्त रूप से माफिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री जारी करने की ईश्तदुआ की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथपत्र ईकबालिया जबाब दावा व फहरिस्त मय दस्तावेज, तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः विभाजन प्रस्ताव आर0टी0एक्ट0 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया गया है। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सिसवादा पटवार हल्का भैसाणा भू0अ0निरी0 सोजत रोड तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की खसरा नम्बर 775 रकबा 4.0700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि दर्ज खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	राजुखां पुत्र जोराराम खां उर्फ जोरू खां जाति कायमखानी सा. धुन्धला खातेदार	775	1.495 हैक्टर	बाअ	8.97
2.	बुधाराम पुत्र जसाराम जाति सीरवी सा0 माण्डा तह0 मारवाड जंक्शन जिला पाली खातेदार	775/2	0.54 हैक्टर	बाअ	3.24
3.	पप्पु खां पुडा भवरू खां हिस्सा 1/7 बतुल बानों पत्नि भवरू खां 1/7	775/1	2.035 हैक्टर	बा0अ0	12.21

उप खण्ड अधिकारी

राजूखां / भैरुखां

	भैरुखां पुत्र भवरू खां 1/7 मुंशी खां पुत्र भवरू खां 1/7 मुस्ताक खां पुत्र भवरू खा 1/7 मेहबुब खां पुत्र भवरू खां 1/7 रईसा पुत्री भंवरू खां 1/7 जाति कायमखानी सा. धुन्धला				
		कुल 3	4.0700	बा.अ.	24.42

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 20/12/21 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी

1. राजू खां गोदी पुत्र जोरावर खां उर्फ जोरूखां जाति कायमखानी मुसलमान नि0 धुन्धला, तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भैरू खां
2. मुंशी खां
3. पप्पु खां
4. मुस्ताक खां
5. मेहबुब खां
6. रईसा बानो पिसरान भंवरू खां जातियान कायमखानी मुसलमान, नि0 धुन्धला, तह0 मारवाड़ जक्शन, जि0 पाली।
7. बुधाराम पुत्र जसाराम जाति सीरवी नि0 माण्डा तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज0 हाल 362/A 1st Cross 3rd Main Kamla Nagar Bangalore North Karnataka 560079.
8. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :– 24 / 2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री कैलाश दवे, एवं श्री कुन्दनमल तथा अधिवक्ता प्रतिवादी श्री देवेन्द्र व्यास पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सिसरवादा, प0ह0 भैसाणा, तह0 सोजत के वर्तमान खाता नंबर 286 के खसरा नंबर 775 रकबा 4.0700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि का विभाजन प्रस्ताव/बंटवाडा मय नजरी नक्शा के आधार पर खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	राजू खां गोदी पुत्र जोरावर खां उर्फ जोरूखां जाति कायमखानी मुसलमान नि0 धुन्धला, तहसील सोजत जिला पाली।	775	1.495 हैक्टर	बा0अ0	8.97
2.	बुधाराम पुत्र जसाराम जाति सीरवी नि0 माण्डा तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज0	775/2	0.54 हैक्टर	बा0अ0	3.24
3	पप्पु खां पुत्र भंवर खां हिस्सा 1/7 बतुल बानो पत्नि भंवरू खां हिस्सा 1/7 भैरू खां पुत्र भंवरू खां हिस्सा 1/7 मुंशी खां पुत्र भंवर खां हिस्सा 1/7 मुस्ताक खां पुत्र भंवर खां हिस्सा 1/7 मेहबूब खां पुत्र भंवर खां हिस्सा 1/7 रईसाा पुत्री भंवर खां हिस्सा 1/7 जाति कायमखानी सा0 धुन्धला खातेदार।	775/1	2.035 हैक्टर	बा0अ0	12.21
	योगः–	03	4.0700	बा0अ0	24.42

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

तहसीलदार, सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –

मुबलिग –　　　　　　बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23/12/21... को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			